



2026:AHC-LKO:4710-DB

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ**

रिट - सी संख्या - 524 सन 2026

मत्स्य जीवी सहकारी समिति लिमिटेड द्वारा सचिव राम रतन

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा सचिव राजस्व उत्तर प्रदेश लखनऊ एवं
5 अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता	:	नरविन्द कुमार सिंह
प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता	:	मुख्य स्थायी अधिवक्ता, दिलीप कुमार पांडे

न्यायालय संख्या - 1

**माननीय न्यायमूर्ति राजन राँय
माननीय न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी**

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री नरविन्द कुमार सिंह और राज्य के विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री मनीष मिश्रा को सुना गया।
2. याचिकाकर्ता ने सीतापुर तहसील और जिले के हरगाँव जिले के नौनेरी परगना स्थित ग्राम नौनेरी में गटा संख्या 1 पर स्थित तालाब के मत्स्य पालन अधिकारों के संबंध में वार्षिक पट्टा किराया की बकाया राशि की वसूली के लिए जारी किए गए वसूली नोटिस को चुनौती दी है।
3. याचिकाकर्ता का तर्क है कि यद्यपि वह नीलामी में उच्चतम बोलीदाता था और उसकी बोली स्वीकार होने के बाद उसने एक वर्ष का वार्षिक किराया भी जमा कर दिया था, लेकिन न तो उसके नाम पर पट्टा विलेख निष्पादित किया गया और न ही उसे तालाब का कब्जा दिया गया। इसलिए, उसने कभी भी अपने मत्स्य पालन अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। अतः, वसूली नोटिस में उल्लिखित राशि

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

की मांग अवैध और अनुचित है। उसने 28.11.2025 को जिलाधिकारी, सीतापुर को पहले ही अभ्यावेदन दिया है।

4. मामले के तथ्यों को देखते हुए, सीतापुर के जिलाधिकारी इस बात की जांच करें कि क्या याचिकाकर्ता की बोली स्वीकार किए जाने के परिणामस्वरूप, यदि हां, तो तालाब का कब्जा उसे सौंपा गया था या नहीं। यदि नहीं, तो याचिकाकर्ता से पट्टे का किराया कैसे मांगा जा रहा है, और फिर, सीतापुर के सदर तहसीलदार द्वारा जारी वसूली नोटिस के तहत याचिकाकर्ता की देयता के संबंध में उचित निर्णय लें।
5. इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से छह सप्ताह की अवधि के भीतर उपरोक्त प्रक्रिया पूरी की जाए।
6. तब तक, अर्थात् सीतापुर के जिलाधिकारी/कलेक्टर द्वारा निर्णय लिए जाने तक, आक्षेपित नोटिस के तहत वसूली प्रभावी नहीं की जाएगी।
7. यह आदेश सीतापुर के जिलाधिकारी/कलेक्टर द्वारा निर्णय लेने में सुविधा प्रदान करने और वास्तविक न्याय सुनिश्चित करने के लिए पारित किया जा रहा है, विशेषकर इसलिए कि प्रतिवादियों द्वारा राज्य के अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता को उपरोक्त मुद्दे पर कोई निर्देश नहीं दिया गया है।
8. उपरोक्त टिप्पणियों/निर्देशों के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

[न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी]

[न्यायमूर्ति राजन राँय]

जनवरी 21, 2026

आर.के.पी.

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।